झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 14 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती मर्शीलिना हेम्ब्रम, शान्तिनगर, गोड्डा ।

बनाम

प्रतिवादी DSO, गोड्डा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
02/02/2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्रीमती मर्शीलिना हेम्ब्रम, पति–स्व0 विनोद टुडू, साकिन / मोहल्ला–शांतिनगर, गोड्डा, दूरभाष सं0–8252383291** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपने राशन कार्ड सं0–202005875250 से उनका नाम काट दिये जाने का उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत की है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 156 / 2021 दिनांक–30.12.2021 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। (हस्ताक्षर) 2/2/22 शिकायतकर्ता Whatsapp Video call के माध्यम से उपस्थित रहीं। उन्हें सूचित कर दिया जाए। (हस्ताक्षर) 14/2/2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश ...10

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
09.03.2022	**आज दिनांक–09.03.2022 को वाद सं0–14/2022 के मामले में सुनवाई की गई।** अपीलकर्ता की ओर से श्रीमती मर्शीलिना हेम्ब्रम विडीयो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहीं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित रहें। शिकायतकर्ता श्रीमती मर्शीलिना हेम्ब्रम द्वारा बताया गया कि उनके आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा संपर्क करने पर बताया गया कि वे Meeting में है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा दिनांक–18.02.2022 की सुनवाई में दिनांक–05.03.2022 तक कार्रवाई कर प्रतिवेदन आयोग को समर्पित कराने की बात थी, जो आयोग को अभी भी अप्राप्त है। चूँकि आज की सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को की गई सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी की सहमति से निर्धारित की गई थी जिसमे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से यह भी कहा गया था कि गोड्डा जिले के चारो चालू वाद पर कार्रवाई कर प्रतिवेदन आयोग को दिनांक–05.03.2022 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–29.03.2022 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई में मुन्नी टुडू को भी उपस्थित रहने हेतु नोटिस दिया जाए। (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हलधर महतो) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 52

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–29.03.2022 को वाद सं0–14/2022 के मामले में सुनवाई की गई। अपीलकर्ता श्रीमती मर्शीलिना हेम्ब्रम से दूरभाष के माध्यम से बात हुई। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री बासुदेव प्रसाद, गोड्डा उपस्थित हुए। शिकातयकर्ता श्रीमती मर्शीलिना हेम्ब्रम द्वारा बताया गया कि गया कि उन्होंने पिछली सुनवाई में उनकी सास मुन्नी टुडू से बात कराने की बात कही थी, जिससे कि मुन्नी टुडू द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित आवेदन के बारे में सत्यापित किया जा सके। परन्तु मर्शीलिना हेम्ब्रम के द्वारा बताया गया कि उनकी सास मुन्नी टुडू घर पर नहीं रहती हैं जिसके कारण उनसे बात नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकारा कि मुन्नी टुडू बात नहीं करना चाहती है इसलिए वह घर से बाहर गाँव में चली गई है। मर्शीलिना हेम्ब्रम ने बताया कि उनका अलग से राशन कार्ड बना दिया जाए। अलग से राशन कार्ड बन जाने पर उनकी शिकायत दूर हो जाएगी एवं उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि मर्शीलिना हेम्ब्रम के अनुसार उनका राशन कार्ड अलग से बना दिया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आदेशित किया गया कि शिकायतकर्ता मर्शीलिना हेम्ब्रम का राशन कार्ड यदि वह योग्यता रखती है तो अलग से बनाकर आयोग को सूचित करें। मर्शीलिना हेम्ब्रम का राशन कार्ड बन जाने की सूचना प्राप्त होते ही इस शिकायत वाद को समाप्त कर दिया जाएगा। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित कर दी जाय। (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हलधर महतो) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 63